संख्या-135/2015/2809/26-3-2015

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 16 नवम्बर, 2015

विषयः- नवनिर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालित किये जाने हेतु साज-सज्जा एवं उपकरणों की व्यवस्था का कार्य प्रबंध निदेशक यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-360/स0क0/विकास/ए0टी0एस0-92/2015-16, दिनांक-23.06.2015 एवं पत्र संख्या-778/स0क0/विकास/09 आ0प0वि0/साज-सज्जा (92)/2015-16, दिनांक-20.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इण्टरमीडिएट स्तर) के संचालन हेतु साज-सज्जा की सामग्री क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-15/2015/855/26-3-2014 दिनांक-30.03.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-7,66,86,000/-(रू0 सात करोड़ छाछठ लाख छियासी हजार मात्र) को उपकरणों की क्रय व्यवस्था सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत किये जाने तथा साज-सज्जा यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ के माध्यम से कराये जाने के आदेश श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) निदेशक, समाज कल्याण आवश्यक सामग्री के क्रय करने तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत गाइड लाइन जारी करें, जिससे क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो तथा क्रय की जानी वाली वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा दरें ¼Competitive Rates½ हो और साथ ही उनकी गुणवत्ता उच्च स्तर की हो।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के पत्र संख्या-344/18-5-2003-76 (एस.पी.)/1986, दि0-10.03.2003 एवं पत्र संख्या-3/2015/618/18-2-2015-12(एस.पी.)/2010, दि0-17.08.2015 तथा वित्त लेखा अनुभाग-1 उ0प्र0 के शासन के पत्र संख्या-ए-1-864/दस-08-15 (1)/1986, दि0-23.09.2008 (प्रतियां संलग्न) के परिपेक्ष्य में नव निर्मित आश्रम पद्धति विद्यालयों में साज-सज्जा एवं उपकरणों का क्रय, पर्चेज रूल्स के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये टेण्डर प्रक्रिया से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-135/2015/2809 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ।

2-वित्त (लेखा) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

3-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग-2 उ0प्र0 शासन।

4-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।